

## कार्यकारी सार

### I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ख) अथवा उन विशिष्ट कार्पोरेशनों को अधिशासित करने वाली संविधियों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों और कार्पोरेशनों के अभिलेखों तथा लेखाओं की नमूना जाँच के परिणामस्वरूप देखे गए लेखापरीखा निष्कर्ष सम्मिलित किए गए हैं।
2. इस प्रतिवेदन में 15 मंत्रालयों/विभागों के अधीन 38 पीएसयूज़ से संबंधित 11 विषय आधारित और 39 पृथक लेखापरीक्षा आपत्तियों सम्मिलित हैं। आपत्तियों के प्रारूप संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में पीएसयूज़ काम कर रहे हैं को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर प्रत्येक मामले में उनका उत्तर/टिप्पणी देने के अवसर प्रदान करने के लिए भेजे गए थे। इस प्रतिवेदन को अप्रैल 2013 में अन्तिम रूप देने तक 36 आपत्तियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। इससे पूर्व आपत्तियों के प्रारूप संबंधित पीएसयूज़ के प्रबंधनों को भेजे गए थे जिनके उत्तर इस प्रतिवेदन में उचित रूप से समाविष्ट किए गए हैं।
3. इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पीएसयूज़ से संबंधित हैं:-

मंत्रालय/विभाग (शामिल पीएसयूज़ की संख्या)	पैराग्राफों की संख्या	विषयक अध्ययनों की संख्या	उन पैराग्राफों/विषयक अध्ययनों की संख्या जिनके संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था
1. परमाणु ऊर्जा (एनपीसीआईएल)	1	-	-
2. रसायन और उर्वरक (बीसीपीएल)	-	1	1
3. नागर विमानन (एएआई, एआईएल, पीएचएचएल)	3	2	3
4. कोयला (सीसीएल)	1	-	1
5. वाणिज्य और उद्योग (एमएमटीपी)	2	-	2
6. उपभेक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (एफसीआई)	3	-	3
7. रक्षा (बीईएमएल, बीडीएल, बीईएल, एमडीएल, एचएएल)	7	3	7

8. ऊर्ध्व विभाग (आरसीएफ)	1	-	1
9. वित्त मंत्रालय (जीआईसीएल, एनआईसीएल, एनआईएसीएल, ओआईसीएल, यूआईआईसीएल, पीएनबीएचएफएल, एसबीआईसीपीएसपीएल)	7		5
10. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (गेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी)	7	2	7
11. ऊर्जा (डीवीसी, एनएचपीसी, पीएफसी)	3	1	4
12. सार्वजनिक उद्यम विभाग (बीईएल, भेल, बीपीएससीपीएल, सीएसएल, डीसीआईएल, एफएसएनएल, एचपीसीएल, मेकॉन लिमिटेड, एमआरपीएल, एनएचपीसीएल, एनएलसीएल, एनएमडीसी लिमिटेड, एनटीपीसी, एनटीपीसी सेल पावर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, पीएफसीएल, पीजीसीआईएल, आरईसीएल, आरआईएनएल, सेल, एसजेवीएन)	1	-	1
13. शिपिंग विभाग (एससीआई)		1	-
14. इस्पात (एनएमडीसी, सेल)	3	-	-
15. शहरी विकास (डीएमआरसी)	-	1	1
<b>कुल</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>36</b>

4. ग्यारह विषयक अध्ययनों में शामिल की गई लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 9040.33 करोड़ था।

5. इस प्रतिवेदन में शामिल की गई पृथक लेखापरीक्षा आपत्तियां मोटे तौर पर निम्नलिखित स्वरूप की हैं:-

- ❖ नियम, निर्देश, पद्धतियां तथा ठेके की शर्तों आदि का पालन न करना जिनमें 18 पैराओं में ₹ 1333.12 करोड़ की राशि शामिल है।
  - ❖ संगठनों के वित्तीय हितों की रक्षा न करना जिनमें 16 पैराओं में ₹ 1314.66 करोड़ की राशि शामिल है।
  - ❖ दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण नियोजन जिसमें 3 पैराओं में ₹ 202.06 करोड़ शामिल हैं।
  - ❖ अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण मानीटरिंग जिसमें एक पैरा में ₹ 23.91 करोड़ शामिल हैं।
  - ❖ उद्देश्यों की प्राप्ति न होना/आंशिक रूप से प्राप्त होना जिसमें एक पैरा में ₹ 65.55 करोड़ शामिल हैं।
6. प्रतिवेदन में 4 पीएसयूज द्वारा की गई ₹ 121.86 करोड़ की वसूलियों से संबंधित एक पैरा तथा लेखापरीक्षा के कहने पर एक पीएसयू द्वारा संशोधनों/परिशोधनों से संबंधित एक अन्य पैरा भी शामिल है।

## II रिपोर्ट में शामिल महत्वपूर्ण पैराओं की मुख्य बातें निम्नवत हैं:

रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2004 तक पूर्ण होने वाले ₹180 करोड़ की लागत पर हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा इन्टरमिडिएट जेट ट्रेनर (आईजेटी) के डिजाइन और विकास की संस्वीकृति जुलाई 1999 में दी थी। हांलांकि आईजेटी के डिजाइन और विकास की प्रारंभिक परिचालन मंजूरी (आईओसी) अभी तक अनुमोदन के स्तर तक पहुंचनी थी, मंत्रालय ने एचएएल द्वारा सीमित श्रृंखला उत्पादन (एलएसपी) (मार्च 2006) और श्रृंखला उत्पादन (एसपी) (मार्च 2010) की संयुक्त संभलाई की भी संस्वीकृति दे दी। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

वास्तविक रूप से मार्च 2007 के लिए अनुसूचित आईओसी छः वर्षों के विलम्ब के बाद भी प्राप्त नहीं की जा सकी। विभिन्न चरणों पर कई विफलताओं से विकास में रूकावट आई थी।

विभिन्न चरणों के लिए अनुसूचित समयसीमा में बाधाएं ईंजन डिजाइन को निश्चित न करने, ईंजन के भार में परिवर्तन और अपर्याप्त दबाव वाले इंजन के साथ प्रयोग के कारण आई थी। निर्धारित संख्या में उड़ानें पूरी करने के बाद दोनों नमूनों की दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप विमान के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए उड़ान परीक्षण गतिविधियों और संशोधनों को स्थगित किया गया।

फेब्रिकेशन के लिए निर्धारित प्रक्रिया और संरचनात्मक परीक्षण नमूने की जांच जिससे डिजाइन की मजबूती साबित करने के लिए बुनियादी एयरफ्रेम के डिजाइन भार की डेढ़ गुना तक जांच की जानी थी, पहले नमूने के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कम भार पर भी नमूना विमानकबन्ध में दरार आई जिससे दूसरे विंग का निर्माण करना पड़ा जिसपर ₹ 38.78 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

चूंकि कम्पनी स्टाल विशेषताएं और स्पिन परीक्षण का सुधार नहीं कर सकी, अतः ₹ 23.59 करोड़ की लागत से दिसम्बर 2012 में काफी देरी से एक सलाहकार को नियुक्त किया गया था।

एलएसपी को उद्धृत करते समय उपकरणों/घटकों के लिए अस्थायी खरीद मूल्य अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 63.59 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

विकास के लिए ₹180 करोड़ की वास्तविक मंजूरी के प्रति, परियोजना पर पहले से ही ₹ 516 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।

एचएएल को निधियां जारी करने के लिए निर्धारित मापदण्ड निश्चित और पर्याप्त भैतिक प्रगति से संबंधित नहीं थे। एलएसपी के लिए ₹ 487 करोड़ की संस्वीकृति लागत के प्रति, मंत्रालय द्वारा आईओसी की प्राप्ति से पहले जारी की गई राशि ₹ 444 करोड़ थी। एसपी के संबंध में, ₹ 6180 करोड़ की संस्वीकृति के प्रति, जारी राशि ₹ 3075 करोड़ थी किन्तु व्यय केवल ₹ 168 करोड़ था।

इंजन के लिए संविदा दर मंगाने के बावजूद असीमित कुल तकनीकी जीवन के साथ और बाद में जीवन काल में वृद्धि के साथ इंजन के लिए घटे हुए प्रारंभिक जीवन की स्वीकृति की मांग के परिणामस्वरूप ₹ 131 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

आवश्यकता के लिए पहले से ही लाइन प्रतिस्थापन इकाइयों की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप ₹114.76 करोड़ के सामान की वारंटी समाप्त हो गई।

आवश्यकता के अनुसार एयरक्राफ्ट की सुपुदर्गी न होने के कारण मार्च 2013 तक आईएफ के पायलटों के मध्यवर्ती स्तर प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

#### (पैरा सं. 7.8)

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) की सशस्त्र बलों द्वारा वांछित परिष्कृत रक्षा उपकरणों ने निर्माण के उद्देश्य से स्थापना की गई थी। बीडीएल भारत में नियंत्रित प्रक्षेपास्त्रों के लिए एक प्रमुख उत्पादन एजेंसी है। बीडीएल की भानूर यूनिट को कोनकुर्स एटीजीएम सिस्टम्स और युनिफाइड लांचरों के निर्माण के लिए स्थापित (1988) किया गया था और एमओडी द्वारा किए गए करार के भाग के रूप में 1989 से बीडीएल की भानूर यूनिट को कोनकुर्स मिसाइलों के उत्पादन का कार्य दिया गया था। चूंकि कोनकुर्स मिसाइल ईआरए पैनल लगे टैंकों को ध्वस्त नहीं कर पाए थे, अतः थलसेना ने कोनकुर्स के उन्नत रूप कोनकुर्स-एम मिसाइल को समाविष्ट करने की जरूरत का पहचाना जो ईआरए द्वारा संरक्षित टैंकों को ध्वस्त करने में सक्षम थी (1994)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोनकुर्स-एम के उन्नत रूप की आवश्यकता की स्वीकृति की तिथि (1994) से करार को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में लगभग आठ वर्ष लगे। इसके अतिरिक्त, तकनीक के समावेश में प्रत्याशित से अधिक समय लगा और इसके कारण करार के निष्पादन में तीन वर्षों का विलम्ब हुआ और थलसेना द्वारा लगाए गए ₹ 38.81 करोड़ के निर्णीत हर्जाने (एलडी) के अलावा 14,722 मिसाइलों की अपूर्ति में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 283.72 करोड़ की हानि हुई। बकाया 13,278 मिसाइलों की आपूर्ति के लिए अनुमानित हानि ₹ 297.25 करोड़ है और संभावित एलडी ₹75.57 करोड़ है। बीडीएल ने दो चरणों में क्रमशः ₹ 50 करोड़ और ₹130 करोड़ की लागत से मिसाइलों के उत्पादन के लिए क्षमता संवर्धन की योजना बनाई (अगस्त 2010)। चरण-I मार्च 2012 तक और चरण-II मार्च 2013 तक पूरा होना था। यद्यपि पहला चरण मार्च 2012 तक पूर्ण होना था, तथापि, फरवरी 2013 तक ₹59.27 करोड़ व्यय करने के बाद भी क्षमता 3000 मिसाइल प्रति वर्ष के समान स्तर पर ही रही।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एमओडी ने थलसेना के लिए मै. रोसोबोरेन एक्पोर्ट के साथ ₹ 1223 करोड़ की लागत से 10,000 कोनकुर्स-एम की खरीद के लिए एक करार इस आधार पर किया कि टीओटी के समावेश की कठिनाईयों के कारण बीडीएल उनके संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं था। इससे पता चलता है कि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता से बचने के लिए एमओडी की कोनकुर्स-एम मिसाइलों के स्वदेशी उत्पादन के प्रयास अक्टूबर 2002 में किए गए करार के तहत केबीपी से ₹ 249 करोड़ की लागत पर तकनीक खरीदने के बावजूद विफल रहे।

(पैरा सं. 7.3)

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और गेल (इंडिया) लि. (गेल) ने ईएवंपी गतिविधियाँ प्रारंभ की (1999) और घरेलू /विदेशी ईएवंपी परियोजनाओं में या तो फार्म-इन के माध्यम से मौजूदा ई एवं पी ब्लकों में पार्टिसिपेटिंग इन्टरेस्ट (पीआई) प्राप्त कर या ईएवंपी ब्लकों के लिए बोलियों में भाग लेकर निवेश करना प्रारंभ किया। आईओसीएल और गेल ने 28 फरवरी 2013 तक ₹ 5346.98 करोड़ के व्यय से 77 ईएवंपी ब्लक (43 गेल और 34 आईओसीएल) अधिप्राप्त किए जिनमें से पाँच ब्लकों में कम्पनियाँ संचालक/संयुक्त संचालक थी और बाकी ब्लकों में गैर संचालक थी। कम्पनी के पास विकास और उत्पादन के अन्तर्गत पाँच ईएवंपी ब्लक थे, 43 ब्लक अन्वेषण /मूल्यांकन के अन्तर्गत थे, और 29 ब्लकों को या तो छोड़ दिया गया था या हाईड्रोकार्बन की खोज न करने के कारण छोड़ने का निर्णय लिया गया था।

इस कारोबार में एक दशक से अधिक का अनुभव होने के बाद भी न तो आईओसीएल और न ही गेल ने ईएवंपी गतिविधियों के लिए परिभाषित/ दस्तावेजी नीति या निर्धारित प्रक्रिया बनाई थी। गेल और आईओसीएल ने ईएवंपी परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति स्वयं विस्तृत परिश्रम के या रूकावटों/सीमाओं (सलाहकारों द्वारा अभिव्यक्त) के पुनर्विधीकरण करने के बजाय मुख्य रूप से अन्य जेवी भागीदारों द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन पर निर्भर होकर की थी। इसके अतिरिक्त अधिकतर मामलों में इन कम्पनियों ने अपने निदेशक बोर्ड को संबंधित ब्लकों की अधिप्राप्ति से पहले ज्ञात जोखिमों/सीमितताओं के बारे में नहीं बताया था। अपर्याप्त विश्लेषण और डाटा की विवेचना और सलाहकारों द्वारा व्यक्त रूकावटों/सीमाओं के गैर पुनर्विधीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 1258.46 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, संयुक्त परिचालन करार में पर्याप्त प्रावधानों के होने के बावजूद गेल और आईओसीएल ने 40 ईएवंपी परिसम्पत्तियों में से 13 और 32 ईएवंपी परिसम्पत्तियों में से 18 में गैर संचालकों के लेखापरीक्षा अधिकारों का प्रयोग नहीं किया।

(पैरा सं. 10.1)

इन-हाउस उत्पादन के माध्यम से इथेनॉल की उपलब्धता में बढ़ोतरी के मद्देनजर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने बिहार सरकार द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तावित (नवम्बर 2007) पन्द्रह बन्द पड़ी चीनी मिलों में से चार के लिए बोली देने का निर्णय लिया (18 दिसम्बर 2007) और वह बिहार में क्रमशः पूर्वी चम्पारण तथा पश्चिमी चम्पारण में स्थित सुगौली और लौरिया में दो ऐसी चीनी मिलों को प्राप्त करने में सफल रही (फरवरी 2008)। एचपीसीएल ने इन स्थानों पर को-जन विद्युत संयंत्रों के साथ दो एकीकृत चीनी इथेनॉल मिलों की स्थापना का निर्णय लिया। इस तथ्य के बावजूद कि इथेनॉल उत्पादन एचपीसीएल के लिए नया व्यवसाय है इसने निर्णय लेने में जल्दबाजी दिखाई और

उपयुक्त समुचित परिश्रम नहीं किया। कम्पनी द्वारा नियुक्त (10दिसम्बर 2007) पूर्व बोली परामर्शदाता अर्थात् आईडीबीआई ने इसे यह कहते हुए सचेत किया था कि एक सफल बोली का परिणाम केवल आंतरिक बिहार में भूमि की प्राप्ति होगा क्योंकि यहां इथेनॉल उत्पादन के लिए गंभीर संरचनात्मक बाधाएं थी और यह कि इसने मिलों की बोली के लिए सूचना की स्वतंत्र जांच नहीं की थी।

एचपीसीएल के दूसरे परामर्शदाता अर्थात् मै. मिटकॉन द्वारा प्रस्तुत किए गए (अक्टूबर 2008) संस्करण अध्ययन प्रतिवेदन (सीएसआर) ने चीनी और इथेनॉल के उत्पादन के लिए गन्ने का रस उपयोग करने के लिए विकल्पों के साथ मिलों की स्थापना के लिए तीन विकल्पों का सुझाव दिया था। तथापि, उपयुक्त विकल्प को मंजूर करने और विस्तृत साध्यता प्रतिवेदनों (डीएफआर्ज) को तैयार करने के लिए सीएसआर एचपीसीएल बोर्ड को प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके बजाय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कार्यकारी निदेशकों और अधिकारियों के दल को तीसरा विकल्प चुनने (30 अक्टूबर 2008) के बारे में रिपोर्ट किया गया जिसने इथेनॉल के उत्पादन के लिए प्रत्येक मिल में 50 प्रतिशत गन्ने के रस और चीनी के उत्पादन के लिए शेष 50 प्रतिशत के उपयोग से अवगत कराया। तदनुसार इथेनॉल संयंत्र की क्षमता को निर्धारित किया गया था। प्रक्षेपित रिटर्न की आंतरिक दर (आईआरआर)-पूँजीगत निवेश के निर्णय के लिए मुख्य मापदण्ड-इस विकल्प के लिए 10.25 प्रतिशत था।

प्रत्येक स्थान पर चुने गए विकल्प के लिए एकीकृत चीनी-इथेनॉल-कोजन विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए मै. मिटकॉन द्वारा तैयार की गई डीएफआर (फरवरी 2009) असंभाव्य आशावादी अवधारणाओं पर आधारित था और उसने संयंत्र की स्थापना के लिए उज्ज्वल चित्र प्रक्षेपित किया और सीएसआर में प्रक्षेपित की तुलना में उच्चतर आईआरआर्ज का संकेत दिया। इस प्रकार, परियोजनाओं को व्यवहार्य दर्शाया गया था तथापि, वे व्यवहार्य नहीं थी। एचपीसीएल ने एकीकृत चीनी इथेनॉल और कोजन विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए कार्यान्वयन तंत्र के बोर्ड को अवगत नहीं कराया था यद्यपि बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया था (जून 2009)। सहायक के संस्करण के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

मिलों के परिचालन के प्रथम वर्ष ने दर्शाया कि इथेनॉल के उत्पादन के लिए चुना गया विकल्प वित्तीय रूप से सम्भाव्य नहीं था। इसके कारण, एचपीसीएल का सहायक-एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड जिसके माध्यम से परियोजनाएं कार्यान्वित की गई थी ने चीनी के उत्पादन के लिए गन्ने के रस का 100 प्रतिशत उपयोग करने का निर्णय लिया (अगस्त 2012)। इसका परिणाम दो चीनी मिलों में बॉयलर क्षमता में बढ़ोतरी, दोनों मिलों पर इथेनॉल संयंत्र की व्यर्थ क्षमता के प्रति ₹ 58.71 करोड़ का आर्थिक व्यय और ₹ 28.45 करोड़ का अनुवर्ती नुकसान दायक व्यय होगा। इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि 31 मार्च 2012 तक दो चीनी मिलों में ₹ 715.21 करोड़ का निवेश किया गया था दो चीनी मिलों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अर्थात् इन-हाउस उत्पादन द्वारा इथेनॉल की उपलब्धता में वृद्धि, प्राप्त नहीं हुआ था।

**(पैरा सं.10.2)**

भारत सरकार ने ₹ 5461 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत पर पोलीमर के उत्पादन के लिए असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया (अप्रैल 2006) और तदनुसार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पोलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल) नामक कम्पनी की स्थापना की गई थी

(जनवरी 2007)। अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा में प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता के कारण एथीलीन के 2.2 लाख टीपीए पर परियोजना की उत्पादन क्षमता श्रेष्ठ नहीं थी। परियोजना के लिए स्थान का चुनाव परियोजना को लाकवा में गेल के एलपीजी संयंत्र का स्थानांतरण और मै. ईआईएल द्वारा तैयार की गई विस्तृत साध्यता प्रतिवेदन की खराब गुणवत्ता ने कम्पनी की सक्षमता को प्रभावित किया। इंजीनियरिंग, प्रबंध और निगरानी परामर्शदाता की नियुक्ति और मूलभूत इंजीनियरिंग प्रक्रिया पैकेज के लिए लाइसेंसधारी के चुनाव में काफी विलम्ब हुआ था जिसके कारण परियोजना लागत ₹ 8920 करोड़ (₹ 4690 करोड़ की पूंजीगत छूट सहित) तक परिशोधित हुई है (नवम्बर 2011)।

**(पैरा सं. 2.1)**

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने खरीद के लिए विदेशी विक्रेता में रीनमैटल एयर डिफेंस एजी ज्युरिक (आरएडी) के साथ इस तथ्य के बावजूद करार किया कि सीबीआई पहले ठेकों में तथाकथित भ्रष्ट पद्धति अपनाने के लिए फर्म के सौदों की जाँच कर रही है जिससे फर्म को काली सूची में डाले जाने का जोखिम था। चूंकि फर्म अंत में काली सूची में डाल दी गई थी, अतः इसके परिणामस्वरूप बीईएल की ₹ 502.31 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

**(पैरा सं. 7.4)**

बीस सीपीएसईज़ (बीईएल, भेल, बीपीएससीपीएल, सीएसएल, डीसीआईएल, एफएसएनएल, एचपीसीएल, मेकोन लिमिटेड, एमआरपीएल एनएचपीसीएल, एनएलसीएल, एनएमडीसी लिमिटेड, एनटीपीसी, एनटीपीसी सेल पावर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, पीएफसीएल, पीजीसीआईएल, आरईसीएल, आरआईएनएल, सेल, एसजेवीएनएल) के सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों से अधिक की एचपीएल सहित बीमारी के अवकाश या ईएल के नकदीकरण के लिए अवकाश नियमों/नीति ने डीपीई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2007 से नवम्बर 2012 तक की अवधि के लिए ₹ 413.98 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

**(पैरा सं. 12.1)**

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (एएआई) 122 हवाई अड्डों का प्रबंधन करती है जो 31 मार्च 2012 तक सारे देश में 52868.36 एकड़ भूमि में फैले हुए थे। एएआई का भूमि प्रबंधन विभाग एएआई के साथ निहित भूमि के स्वामित्व को स्थापित करने के लिए समुचित रिकार्ड रखने के लिए जिम्मेदार था।

तथापि, लेखापरीखा ने देखा कि उपरोक्त विभाग उन उद्देश्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सका था जिनके लिए वह बनाया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच की गई 37455.729 एकड़ भूमि में से 14053.202 एकड़ भूमि एएआई के नाम पर उत्परिवर्तित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त 888.44 एकड़ भूमि का अतिक्रमण कर लिया गया था (मार्च 2012) जिसके कारण एएआई को कुछ सुविधाओं के निर्माण/संचालन को स्थगित करना पड़ा।

कई एजेंसियों ने विभिन्न हवाईअड्डों की भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा था। तथापि, पार्टियों के साथ करार के अभाव में एएआई ₹ 225.78 करोड़ राशि की देय लाइसेंस फीस/पट्टा किराएं व्यय की

वसूली नहीं कर पा रहा था। एएआई द्वारा सरकारी एजेंसियों जैसे भारतीय नौसेना और एनएचएआई को हस्तांतरित की गई परिसम्पत्तियों के लिए मुआवजे के प्रति भी ₹ 181.11 करोड़ बकाया थे।

(पैरा सं. 3.1)

डीपीई के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने कार्यकारियों के लिए निष्पादन संबंधित भुगतान योजना प्रस्तुत की। कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में पारिश्रमिक समिति को पीआरपी और निर्धारित सीमा में इसके वितरण की नीति निश्चित करनी थी। डीपीई दिशानिर्देशों ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित किया कि कम्पनी को (i) कार्यकारियों की ग्रेडिंग में "बेल कर्व एप्रोच" को अपनाना चाहिए जिससे कि 10 से 15 प्रतिशत से अधिक को सर्वोत्कृष्ट/उत्कृष्ट का दर्जा न दिया जा सके और 10 प्रतिशत कार्यकारियों को "अवमूल्यन पर" का दर्जा दिया जाना चाहिए। "अवमूल्यन पर" रेटिंग प्राप्त करने वालों को पीआरपी नहीं दिया जाना था। (ii) वे कार्यकारी जिन्होंने "सर्वोत्कृष्ट" "बहुत अच्छी" और "अच्छी" रेटिंग प्राप्त की उन्हें 100 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत पीआरपी मिलनी चाहिए। पीआरपी की प्रमात्रा को कार्यकारियों के निष्पादन की रेटिंग से जोड़ा जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि (i) कम्पनी ने ग्रेडिंग में "बेल कर्व एप्रोच" को नहीं अपनाया और अपने सभी कार्यकारियों को पीआरपी का भुगतान किया (ii) पारिश्रमिक समिति ने पीआरपी सूत्र को अपनाया जिसमें कर्मचारी निष्पादन रेटिंग के महत्व के लिए प्रवर्धक डीपीई द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक था।

डीपीई दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण कम्पनी ने वर्ष 2007-08 से 2010-11 के लिए अपने कार्यकारियों को ₹ 319.61 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

(पैरा सं. 14.2)

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने 2013 तक पाँच चरणों (0 से 4) में 320 शक्ति इंजनों के सह-विकास और स्वदेशी उत्पादन के लिए ₹ 878.08 करोड़ की लागत पर टर्बोमेका फ्रांस (टीएम) के साथ सह-परिचालन करार (करार) पर हस्ताक्षर किए (जनवरी 2003)। विभिन्न फेजों के लिए एसेम्बली किट की आपूर्ति टीएम द्वारा सहमति मूल्य पर की जानी थी जो कि सुपुर्दगी के वर्ष तक वैध स्वतः वृद्धि (2002 आधार वर्ष के रूप में) का विषय था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक दशक से अधिक के बाद भी एएलएच की आवश्यकताओं के अनुरूप इंजन के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं की गई है जैसा कि अवगत कराया गया था। विभिन्न जलवायु परिस्थितियों और उँचाई पर परिचालन के लिए इंजनों की विभिन्नताओं के लिए आवश्यकता का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया जिसके कारण समय और निधि के रूप में अधिक निवेश वाले आशोधन निरन्तर किए गए। एचएएल को टीएम की विफलता के कारण अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा जो शक्ति इंजनों के विकास और उत्पादन में विदेशी भागीदारों के साथ किए गए अनुचित पक्षपात को दर्शाया था। विदेशी सहयोगी द्वारा अनिवार्य क्षतिपूर्ति का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफलता ने आत्मनिर्भरता के प्रति योगदान में भारतीय उद्योगों को अवसर से वंचित कर दिया। मुफ्त तकनीकी सहायता के इष्टतम उपयोग के बिना अतिरिक्त तकनीकी जानकारी की प्राप्ति ने परियोजना की अधिक लागत में योगदान दिया।



इस प्रकार, प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और शक्ति इंजनों के विनिर्माण की उपलब्ध इन-हाउस क्षमता के गैर- निर्धारण में एचएएल की अक्षमता ने रक्षा बलों में एएलएच के समय से प्रेरण को प्रभावित किया और इसके परिणामस्वरूप एचएएल को ₹ 204.27 करोड़ का अधिक भुगतान भी हुआ।

**(पैरा सं. 7.7)**

जनरल इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया की राजीव आरोग्यश्री सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना के फेज-I से V को कवर करने वाली स्टार हेल्थ एण्ड एलाईड इंश्योरेन्स कम्पनी लि. (स्टार हेल्थ) को जारी सन्धियों की पुनर्बीमा हामीदारी और लाभकारिता की जाँच की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि पुनर्बीमा संधियों के विवेकहीन स्वीकरण के परिणामस्वरूप जीआईसी को ₹197.80 करोड़ का नुकसान हुआ। मुख्य टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:

जीआईसी द्वारा स्वीकार देयता प्रीमियम के अनुरूप नहीं थी क्योंकि जीआईसी के प्रीमियम के लिए देयता अनुपात जो कि 1:4.12 से 1:5.54 तक था के प्रति स्टार हेल्थ का प्रीमियम के लिए देयता अनुपात 1.09:1 से 1.02:1 तक था। इसके अतिरिक्त, पाँच वर्ष में से तीन वर्षों (2008, 2009 तथा 2010) में जीआईसी का दावा अनुपात अर्जित प्रीमियम के 100 प्रतिशत से अधिक था।

जीआईसी ने 2008 में 104 प्रतिशत की दर पर दावा अनुपात पर विचार करते हुए 21.73 प्रतिशत की नवीकरण प्रीमियम दर शुरू की; यद्यपि इसने प्रीमियम दर में कमी के लिए कारणों को न्यायोचित ठहराये बिना ही वास्तव में केवल 12.63 प्रतिशत की दर प्रभारित की। इसके अतिरिक्त, जीआईसी दावा अनुपात 104 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में अधिक प्रीमियम दर प्रभारित करने की शर्त शामिल न करने के कारण अपने हितों की रक्षा करने में विफल रहा।

**(पैरा सं. 9.1)**

आयल एण्ड नैचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने तीन स्थानों पर ड्रिल करने की आवश्यकता दर्शाते हुए मानक निविदा प्रक्रिया के विचलन द्वारा काम के आधार पर छः माह के लिए रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) से रिग "एक्टीनिया" किराये पर लिया। रिग के वास्तविक नियोजन ने दर्शाया कि चिन्हित तीन स्थानों में से किसी पर भी ड्रिलिंग के लिए रिग को किराये पर लेने की आवश्यकता नहीं थी। अतः फरवरी 2009 से जुलाई 2009 तक रिग को किराये पर लेने का ₹ 146.71 करोड़ का समस्त व्यय परिहार्य था। सामग्री के अभाव में निष्क्रिय पड़े रिग के परिणामस्वरूप फरवरी 2009 के दौरान ₹ 4.64 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

**(पैरा सं. 10.7)**

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड पुनः-तरलीकृत प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए दादरी पानीपत स्पर पाईप लाइन के शुरू होने के साथ अपनी पानीपत रिफाइनरी पर स्थित गैस टरबाइनों के रूपान्तरण को एकरूप करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 2010 से मार्च 2012 के दौरान केप्टिव ऊर्जा के उत्पादन के लिए मंहगे इंधन के उपयोग के कारण ₹135.81 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

**(पैरा सं. 10.3)**

न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नेशनल इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ओरियंटल इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड तथा युनाइटेड इंडिया इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ने स्टार हैल्थ एवं एलाइड इश्योरेन्स कम्पनी के साथ सह बीमा अनुबन्ध करने के अपने विवेकहीन निर्णय के कारण, जून 2012 को खत्म होने वाली चार वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 121.81 करोड़ का नुकसान उठाया। दावे का काफी बड़ा हिस्सा चार पीएसयू बीमा कम्पनियों द्वारा वहन किया गया जिन्होंने अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए यथास्थान उचित नियंत्रण एवं सन्तुलन के बिना एवं कम प्रीमियम के बावजूद सह-बीमा को स्वीकार किया था।

( पैरा संख्या 9.2)

ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए जाली दस्तावेज के आधार पर एक ठेका दिया था। ठेका परियोजना के कार्यान्वयन में ठेकेदार की अयोग्यता के कारण चार वर्षों के बाद समाप्त किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 114.78 करोड़ का नुकसान हुआ।

(पैरा सं. 10.8)

एमएमटीसी लिमिटेड भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अनुसार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्यातकों को सोने, प्लेटिनम एवं चाँदी की आपूर्ति एवं आयात करता है। एमएमटीसी ओजीएल योजना के अन्तर्गत घरेलू बाजार में बिक्री के लिए सोने एवं चाँदी का आयात भी करता है। बुलियन का व्यापार बहुमूल्य धातु प्रक्रियात्मक ड्रिल में (बुलियन ड्रिल) में निहित अनुदेशों/दिशानिर्देशों एवं कम्पनी द्वारा समय समय पर जारी किये गए आन्तरिक परिपत्रों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। बुलियन ड्रिल विनियम दर के उतार चढ़ाव के विरुद्ध सुरक्षा के लिए विदेशी विनिमय दर कवर (एफइआरसी) लेना आवश्यक करता है। ऐसे एफइआरसी की लागत ग्राहक द्वारा वहन की जाती है। इसके 18.12.2006 को जारी किये गए निर्देश प्रत्येक संव्यवहार को पूरा होने पर एक अलग एवं चुकता हो गए के रूप में समझना आवश्यक करते हैं ताकि संव्यवहारों के ढेर से बचा जा सके। एमएमटीसी लिमिटेड में बुलियन कारोबार पर निर्देशों के पालन में विफलता, अस्पष्ट लेखांकन एवं अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण के कारण ग्राहकों से ₹ 295.99 करोड़ की देय राशि की वसूली नहीं हुई एवं ब्याज के प्रति ₹ 53.27 करोड़ (दिसम्बर 2012 तक) की परिहार्य हानि हुई।

(पैरा सं. 5.1)

भारत सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंदिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए)/द्वारका तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन (एएमईएल) के लिए मंजूरी दी (मई 2007/जनवरी 2009)। एक विशेष प्रयोजन वाहन अर्थात् दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) की स्थापना 100 प्रतिशत इक्विटी वाली रिलायन्स एनर्जी लिमिटेड/सीएएफ संघ के साथ की गई। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) एवं डीएएमईपीएल के मध्य हुए छूट अनुबन्ध (अगस्त 2008) के अनुसार डिजाईन प्रतिस्थापन, शुरुआत, परिचालन एवं रखरखाव से संबंधित कार्य डीएएमईपीएल द्वारा किया गया एवं सिविल कार्य डीएमआरसी द्वारा कार्यान्वित किया गया।

बुनियादी ढाँचे में पीपीपी की वित्तीय सहायता की मात्रा को कुल परियोजना लागत के अधिकतम 40 प्रतिशत तक सीमित करते वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों (जनवरी 2006) के उल्लंघन में छूट ग्राही को कुल परियोजना लागत के केवल 46.17 प्रतिशत (13.92 प्रतिशत इक्विटी एवं 32.25 प्रतिशत ऋण) तक योगदान देने के लिए अनुमति दी गई थी।

डीएमआरसी अनुबन्ध के अनुसार इसे देय राशि का भुगतान सुनिश्चित करने एवं विलम्ब लेख खाते से आहरण में विफल रहा था। सिविल कार्यों में दोष के कारण 8 जुलाई 2012 को परिचालन निलंबित कर दिये गए। मंत्रालय द्वारा सिविल ढाँचे में दोषों की जाँच करने के लिए गठित संयुक्त निरीक्षण समिति ने खराब कारीगरी एवं निर्माण के साथ साथ परिचालन के दौरान उचित निरीक्षण के अभाव को उनके लिए जिम्मेदार ठहराया। यद्यपि लाईन ने 22 जनवरी 2013 से फिर से परिचालन शुरू कर दिया था तथापि छूटग्राही ने परियोजना की स्थिरता/वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर सीए के उपबन्ध 36.2 के अन्तर्गत मध्यस्थता की मांग कर दी थी।

इसके अतिरिक्त परियोजना पीपीपी के एक अद्वितीय मॉडल का प्रयोग करते हुए कार्यान्वित की गई थी जहाँ छूटग्राही ₹ एक लाख की तुच्छ इक्विटी के साथ ₹ 5697 करोड़ की एक परियोजना का संचालन कर रहा है।

**(पैरा सं. 15.1)**

पवन हंस हैलीकॉप्टर लिमिटेड तेल क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने, पहाड़ी एवं दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने, यात्रा एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने एवं इन्द्रा शहर परिवहन उपलब्ध कराने के लिए हैलीकॉप्टर सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित की गई थी (अक्टूबर 1985)। कम्पनी के पास 45 हैलीकाप्टर (मार्च 2012) का एक बेड़ा है जिसमें 35 डाफिन एन एवं एन 3 (10 सीटर) सात-बेल (6 सीटर) 2-बी3 (6सीटर) एवं एक एमआई-172 (26 सीटर) सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा ने अनुबन्ध एवं एमओयूज के संदर्भ में अप्रैल 2009 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान पीएचएचएल में हैलीकाप्टरों के संचालन की समीक्षा की ताकि इसके संचालनों की दक्षता का आकलन किया जा सके।

कम्पनी में इसके पश्चिमी क्षेत्र में, जहाँ से इसके सबसे बड़े ग्राहकों में से एक ओएनजीसी को संचालन उपलब्ध कराए जाते हैं, हैलीकाप्टरों के इसके डाफिन बेड़े के लिए 2009-12 की अवधि के दौरान औसतन 22 से 18 पायलटों की कमी थी। ओएनजीसी ने हैलीकाप्टरों के एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउन्ड के प्रति तय मासिक प्रभार (एफएमसी) एवं परिनिर्धारित नुकसान के लिए ₹ 16.98 करोड़ की एक राशि मुख्यतः पायलटों की कमी से हैलीकाप्टरों की अनुपलब्धता के कारण काट ली। एएस-4 किट, सरकवां दरवाजे, इंजन की अतिरिक्त खरीद एवं महत्वपूर्ण मर्दों की विलम्बित खरीद के उदाहरण थे जिससे एफएमसी का नुकसान हुआ जो एक प्रभावशाली इन्वेंटरी नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता की ओर संकेत करता है।

ऋणों की समय पर वसूली के लिए कोई प्रणाली नहीं थी जिसके कारण 31 मार्च 2012 तक ₹ 171.87 करोड़ का विशाल बकाया था जो क्रेडिट नियंत्रण प्रक्रिया के क्रियान्वयन की आवश्यकता को दर्शाता है।

(पैरा सं. 3.5)

शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान 30 जहाज़ बेचे एवं सकल विक्रय आय के रूप में ₹ 598.67 करोड़ प्राप्त किये। लेखापरीक्षा ने विक्रय की प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियाँ देखी:

विक्रय की प्रक्रिया उन दिशानिर्देशों के आधार पर थी जो सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं थे।

तकनीकी आर्थिक अध्ययन (टीईएस) जैसे टीईएस में प्रबन्धन व्यय का समावेश, और टीईएस के लिए गलत स्क्रेप दर का अपनाया जाना देखा गया था।

आपरेटिंग डिविजन द्वारा प्रस्तावों की शुरुआत में विलम्ब एवं विक्रय में विलम्ब के मामले में स्क्रेप दर का गैर संशोधन भी देखा गया जिसके कारण कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक वसूली कम थी एवं परिणामस्वरूप कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा ने निविदा एवं प्रतिबंधित प्रतियोगिता की प्रक्रिया में कमियाँ पाई। निविदा की प्रक्रिया में भी विलम्ब थे जिनके कारण स्थायी प्रभारों का परिहार्य व्यय हुआ।

ईएमडी के संग्रह, ईएमडी की जब्ती की प्रणाली में कमियाँ एवं खरीदारों एवं एजेंसी के मध्य ईएमडी एवं विक्रय आय में विसंगति देखी गई।

एक से अधिक संभावित खरीदार का प्रतिनिधित्व करते एक एजेन्ट के चलन का जारी रहना एवं एक जहाज़ के लिए दो फर्मों के लिए बोली लगाते एक एजेन्ट से कार्टल गठन की संभावना है।

(पैरा सं. 13.1)

2009-10 से 2011-12 की अवधि को शामिल करती "डीवीसी के थर्मल उर्जा स्टेशनों में राख प्रबन्धन" पर विषयक लेखापरीक्षा ने राख के सृजन एवं निकासी/निपटान एवं उपयोग से संबंधित कमियों पर प्रकाश डाला। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2009-10 को छोड़ कर कार्पोरेशन सर्जित राख का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सका था।

गुणकारक/मिश्रित कोयले के माध्यम से फ्लायैश उत्पादन को सीमित करने में कार्पोरेशन की विफलता के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत की बचत का अवसर खत्म हो गया। यह देखा गया कि गुणकारक/मिश्रित कोयले के उपयोग के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) कवरेज के अन्तर्गत आने वाले इसके दो थर्मल पावर स्टेशनों के बावजूद कारपोरेशन ने एमओईएफ की ऐसी शर्तों का उल्लंघन जारी रखा।

राख प्रबंधन स्थिति बोकारो थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) एवं मेजिया थर्मल पावर स्टेशन (एमटीपीएस) पर भूमि के अधिग्रहण में व्यापक विलम्ब के कारण बढ़ रही थी। प्रदूषण नियंत्रण दृष्टिकोण की अनिवार्य आवश्यकता होने के बावजूद लेखापरीक्षा ने थर्मल पावर स्टेशनों में सूखी फ्लायैश संग्रह प्रणाली की प्रतिस्थापना में काफी विलम्ब देखा। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) और मेजिया थर्मल पावर स्टेशन (एमटीपीएस) में जमीन प्राप्ति में अधिक विलंब के कारण राख प्रबंधन की स्थिति खराब हो गई। प्रदूषण नियंत्रण दृष्टिकोण से इसकी अनिवार्य आवश्यकता होने के बावजूद भी लेखापरीक्षा ने थर्मल पावर स्टेशनों में सूखी उड़ी हुई राख संग्रहण प्रणाली के संस्थापन में अधिक देरी

पाई। इसने न केवल कोनार नदी में राख घोल छोड़ने के कारण थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) की एक इकाई को बन्द होने के कगार पर ला खड़ा किया था बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न की, कृषि भूमि को नष्ट किया एवं एमटीपीएस के पास आसपास के बांधो को प्रदूषित किया। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि कार्पोरेशन ने लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अनुबंध देने से पूर्व या तो राख को खाली करने की निविदा से पूर्व एक सही और संभाव्य आवश्यकता या उपयुक्त नियंत्रण करने के लिए किसी उचित उद्यम का प्रयोग नहीं किया।

**(पैरा सं. 11.1)**